प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 560/ल0सिं0/कार्य0/मानकीकरण/2017 दिनांक 23 अगस्त, 2017

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2017 को आहूत विभागीय प्रस्तुतीकरण के कार्यवृत्त में निर्देश दिये गये हैं कि चेकडैम/तालाबों की खुदाई के पूर्व व पश्चात level लेने के लिए mechanism बनाया जाय। उक्त सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था के अनुसार भविष्य में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है –

1– वर्तमान में तालाबों की योजनाओं की संरचना करते समय खुदाई से पूर्व के level लेने की व्यवस्था है और उसी के आधार पर मिट्टी की खुदाई की मात्रा का आंकलन किया जाता है तथा खुदाई होने के उपरान्त वास्तविक खुदाई के आधार पर मेजरमेन्ट कर भुगतान किया जाता है। उक्त निर्देशों के कम में खुदाई के उपरान्त भी प्रत्येक ग्रिड का level लिया जाये और ग्रिड के initial level तथा final level के अन्तर के आधार पर मिट्टी की खुदाई का आंकन करते हुए अन्तिम भुगतान किया जाए। पूर्व में जारी अन्य सभी निर्देश एवं प्रकियाएँ यथावत रहेंगी।

2– इसी प्रकार चेकडैम निर्माण में मिट्टी खुदाई के कार्य में initial level और final level लिए जाएं और इसके अन्तर के आधार पर मिट्टी खुदाई का आंकलन करते हुए इस कार्य के अन्तिम भुगतान किये जाएं।

भवदीय,

23/8/2017

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।

पत्रांक 560/ल0सिं0/कार्य0/मानकीकरण/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि –

1– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

23/8/2017

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।

23.8.17